प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

7वां, 8वा तल, इन्दिरा भवन सिविल लाइंस, प्रयागराज

आवश्यक सूचना

शमन योजना 2020

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3के शासनादेश संख्या–MS-09/आठ–3-20-234 विविध/2017 टी0सी0 दिनांक 15.07.2020 द्वारा शमन योजना – 2020 जारी किया गया है। उक्त शासनादेश को परिचालन के माध्यम से बोर्ड द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। इस शासन योजना – 2020 को दिनांक 21.07.2020 से लागू किये जाने का निर्देश दिया गया है। जो लागू होने की तिथि से 6 माह तक अर्थात 20.01.2021 तक लागू रहेगी। इस अवधि में शासन द्वारा पूर्व जारी शमन उपविधि–2010 के प्राविधान स्थगित रहेंगे। शमन योजना–2020 के अंतर्गत वर्तमान समय तक निर्मित भवनों के शमन हेतु आवेदन लाइसेंसयुक्त वास्तुविद/अभियंता/मानचित्राकार द्वारा तैयार/सत्यापित कर शमन शुल्क का स्वः मूल्यांकन करते हुये प्राधिकरण कार्यालय के आठवें तल स्थित तकनीकी सेल में किसी भी कार्य दिवस में जमा कराया जा सकता है। विस्तृत शासनादेश प्राधिकरण की वेबसाइट www.pdaprayagraj.in पर अवलोकित एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी.
जनसम्पर्क प्रयागराज
विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

पत्रांक – 36/ज0सम्पर्क0अ0/वि0प्रा0 2020–21
दिनांक – 20.07.2020